निशुल्क प्रकाशन हेतु

राजस्थान सरकार

निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रेस विज्ञप्ति

विषयः– देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना के आवेदन पत्रों की अन्तिम तिथि के कम में ।

निदेशालय, कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक एफ23(34)/लेखा/निकाशि/छात्रवृति/2013–14/1300–1310 दिनांक 2.7.2013 द्वारा सत्र 2013–14 के लिए राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् विशेष पिछडा वर्ग की छात्राओं से देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि के आवेदन पत्रों को महाविद्यालय में जमा कराने की अंतिम तिथि 26.7.2013 तथा निदेशालय में जमा की तिथि 31.7.2013 रखी गई थी। उक्त तिथियां निम्नानुसार बढाई जाती है :–

1– देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजनाः

क्र. सं.	योजना का नाम	महाविद्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	महाविद्यालय द्वारा निदेशालय में आवेदन फार्म जमा कराने की अंतिम तिथि
1	(अ) देवनारायण छात्रा स्कूटी आवेदन पत्र (ब) देवनारायण छात्रा प्रोत्साहन राशि आवेदन पत्र	08.08.2013 तक 06.09.2013 तक	14.08.2013 तक 13.09.2013 तक

उपरोक्त छात्रवृति से संबंधित नियमों / शर्तो की पूर्ण जानकारी एवं आवेदन फॉर्म विभाग की वेबसाईट http://www.collegeeducation.rajasthan.gov.in तथा http://dce.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है । महाविद्यालय/छात्रा/अभिभावक आवेदन फार्म डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं।

नोटः–

1– आवेदन फार्म पूर्ण रूप से भरा हुआ तथा उल्लेखित समस्त संलग्नक प्रमाणित होने चाहिए।

2– निदेशालय में सीधे छात्राओं/अभिभावको से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

3– यदि किसी महाविद्यालय के पास किसी छात्रा का भरा हुआ आवेदन रह जाता है तथा दिनांक 14.8.2013 तक निदेशालय में जमा नहीं कराया जाता है तो संबंधित महाविद्यालय की जिम्मेदारी होगी ।

4– संबंधित महाविद्यालय प्राप्त आवेदन पत्रों की जाच करते हुए मय संलग्नको के निर्धारित स्थान पर प्राचार्य के हस्ताक्षर कराकर निदेशालय के छात्रवृत्ति अनुभाग ब्लॉक– 2 में व्यक्तिशः उल्लेखित तिथियों में जमा कराना सुनिश्चित करें तथा प्राप्ति रसीद लेना नहीं भूलें।

5– निदेशालय में आवेदन पत्र जमा कराने से पूर्व महाविद्यालय द्वारा पत्र में कम संख्या, छात्रा का नाम, पिता का नाम एंव निवास स्थान आवश्यक रूप से दर्ज करके लावें इसके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगें।

(नवीन जैन)
निदेशक

क्रमांकः–एफ23(10)लेखा/निकाशि/दे.छा.स्कू.वि.प्रो.रा.यो./2013–14/ 1347-56 दिनांक 25-07-13

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर को आठ प्रतियों सहित भेजकर अनुरोध है कि कृपया इसका निशुल्क प्रकाशन, राजस्थान के सभी समाचार पत्रों में करवाने की व्यवस्था करावें।
2. निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र, जयपुर को प्रसारणार्थ प्रेषित है ।
3. निदेशक, आकाशवाणी, जयपुर को प्रसारणार्थ प्रेषित है ।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।
5. संयुक्त निदेशक, अकादमी, कॉलेज शिक्षा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि प्रवेश नीति वर्ष 2013–14 में उक्तानुसार संशोधन कराने का श्रम करावें ।
6. संपादक, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर एवं दैनिक नवज्योति, जयपुर को भेजकर अनुरोध है कि कृपया उक्त विज्ञाप्ति के अनुसार आपके राजस्थान के समाचार पत्रों के सभी संस्करणों में प्रकाशन करावें ।
7. समस्त प्राचार्य, राजकीय एवं मान्यता प्राप्त निजी महाविद्यालय, राजस्थान, प्राचार्य संगीत संस्थान/ राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट, जयपुर ।
8. सहायक निदेशक, कॉलेज शिक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय, अजमेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर और उदयपुर को भेजकर लेख है कि अपने क्षेत्र के महाविद्यालयों को कार्यक्रम से सूचित करावें ।
9. समस्त विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के संगठक महाविद्यालय तथा विभाग, राजस्थान, वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली, निवाई टोंक को अपने अधीनस्थ विभागों एवं महाविद्यालयों को सूचित कराने बाबत प्रेषित है ।
10. वेबसाईट अनुभाग को अपलोड करने हेतु ।

(डॉ.सी.एम. खटीक)
संयुक्त निदेशक (छात्रवृति)